प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498 ई–मेल : vyapam@mp.nic.in
वेबसाईट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in

dkS'ky fodkl lapkyuky; ds vUrxZr vkbZVhvkbZ esa izf'k{k.k vf/kdkfj;ksa ds inksa dh HkrhZ ijh{kk&2016 ¼ ijh{kk dsoy e-iz- ds ewy fuoklh ds fy;s ½

ijh{kk lapkyu ,oa HkrhZ fu;e iqfLrdk

vkuykbZu vkosnu&i=			
भरने की प्रारम्भ तिथि : 13.09.2016		भरने की अंतिम तिथि : 12.10.2016	
संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 13.09.2016		संशोधन करने की अंतिम तिथि : 17.10.2016	
परीक्षा दिनांक व दिन		06-11-2016 ls 08-11-2016	
ijh{kk 'kqYd izfr iz'u i=			
सीधी भर्ती / सीधी भर्ती बैकलांग / संविदा भर्ती के पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		:- 500@& प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)		:- 250@& प्रति प्रश्न पत्र
सीधी भर्ती – बैकलॉग			कोई शुल्क नहीं
बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये			
कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रू. 70/– देय होगा। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र न भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल शुल्क रू. 40/– देय होगा।			

vkuykbZu ijh{kk i)fr le; lkj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन			अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
06.11.2016 रविवार	07.11.2016 सोमवार	08.11.2016 मंगलवार			
प्रश्न पत्र एक	प्रश्न पत्र चार	प्रश्न पत्र सात	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
प्रश्न पत्र दो	प्रश्न पत्र पांच	प्रश्न पत्र आठ	अपरान्ह 10:30 बजे	11:50 से 12:00 बजे तक (10 मिनट)	अपरान्ह 12:00 से 02:00 बजे तक (2:00 घंटे)
प्रश्न पत्र तीन	प्रश्न पत्र छः	प्रश्न पत्र नौ	सायं 01:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

fVIi.kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
3- vkuykbZu vkosnu&i= Øekad ds }kjk gh fyf[kr ijh{kk gsrq vH;FkhZ viuk izos'k&i= ikIr dj ldrs gSA vr% vkosnu&i= Øekad vko';d :i ls lEHkky dj j[ksa ftldh leLr@ftEesnkjh vkosnd dh gh gksxhA
4- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है
5. पी.ई.बी. द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] MªkbZfoax ykblsal] vdlph e; QksVksxzkQ] cSad iklcqd e; QksVksxzkQ rFkk ikliksVZ esa ls dksbZ ,d vFkok vU; dksbZ p;fur dj ldrk gS A blds vk/kkj ekU; ugha gSA
6- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
7. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप–5) में विभाग के पृथक – पृथक पदों हेतु पृथक – पृथक आवेदन पत्र संबंधित विभाग को प्रेषित करना होगा। आवेदक द्वारा **पी.ई.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य** माना जायेगा।

dk'ky fodkl lpkyuky; d vUrxr vkbVhvkbZ e if'k{k.k vf/kdkfj;k d ink dh Hkrh ijh{kk&2016

fo"k; lph

l-Ø-	v/;k;	fooj.k	i"B Ø-
1.	01	कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती परीक्षा–2016 के लिए विभागीय नियम	03–18
2.	02	मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल संचालन नियम एवं निर्देश	19–33
3.	03	विस्तृत पाठ्यक्रम	34
4.	ik:i&1	प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	35
5.	ik:i&2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	36
6.	ik:i&3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	37
7.	ik:i&4	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	38
8.	ik:i&5	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसेः–बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	39

v/;k; & 1

dk'ky fodkl lapkyuky; e/;izns'k] rduhdh f'k{kk ,oa dk'ky fodkl foHkkx ds varxZr vkbZVhvkbZ esa izf'k{k.k vf/kdkfj;ksa ds inksa dh HkrhZ ijh{kk&2016

<u>funs'k</u>

p;u lacU/kh vuqns'k

म.प्र. औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2009 एवं संशोधन दिनांक 17 अप्रैल 2012 तथा 08 फरवरी 2013 के प्रावधान अनुसार तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय (आईटीआई) में प्रशिक्षण अधिकारियों के विभिन्न पदों की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016 में निम्न निर्देश लागू होंगे :–

1-0 lkekU; :–

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे, जो कि कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारियों (विभिन्न व्यवसायों) की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016 में आवेदन कर रहे हैं ।

2-0 ifjHkk"kk,¡ :–

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा ।

(ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है ।

(स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है ।

3-0 inksa dh la[;k] vkj{k.k rkfydk ,oa 'kS{kf.kd ;ksX;rk %&

layXu ifjf'k"V&**,d o nks** vuqlkj

4-0 vkj{k.k %&

4.1 महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा ।

4.2 भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी पदों, व्यवसायों में 10 प्रतिशत पद समस्तर व प्रभागवार (होरिजेन्टल कम्पार्टमेंट वाइस) आरक्षित रहेंगें। भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के ओपन/महिला उम्मीदवारों से (मेरिट के आधार पर) पदों को भरा जा सकेगा ।

4.3 निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों पर उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर पदों को रिक्त रखा जावेगा। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–8–2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 30 जून 2014 अनुसार निःशक्तजनों के विज्ञापित पद वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित) निर्धारित किये गये हैं। मेरिट अनुसार (ओपन/महिला) एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अनारक्षित वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे। निःशक्तजनों को विकलांगता के आधार पर पद के कृत्यों के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपनिदेशक (पुनर्वास) महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (टत्व) नेपियर टाऊन जबलपुर से प्राप्त कर दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

4.4 प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 01 से क्रमांक 09 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से भरे जावेंगे ।

4.5 यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50 प्रतिशत या अधिक डिग्री/डिप्लोमा धारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50 प्रतिशत की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जावेगा अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार 50 प्रतिशत से अधिक चयनित हो सकते हैं । जिस व्यवसाय में 50 प्रतिशत से कम डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार चयनित होंगे उनमे शेष (चयनित डिग्री/डिप्लोमा को छोड़कर) डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार कर वर्टिकल/होरिजेन्टल आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखते हुये डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा, भले ही

डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार व्यवसाय की मेरिट सूची में गैर डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से नीचे हों।

4.6 50 प्रतिशत डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की संख्या किसी व्यवसाय के कुल पदों पर सुनिश्चित की जावेगी । उदाहरण स्वरूप प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक के विज्ञापित कुल पदों की संख्या 45 है जिसमें अनुसूचित जाति के 08, अनुसूचित जनजाति के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 06 अनारक्षित श्रेणी के 21 उम्मीदवारों का चयन किया जाना है । यदि चयन हेतु आयोजित परीक्षा में मेरिट के आधार पर इन 45 में से किसी भी संवर्ग के 23 डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं जैसे अपिव के 06 एवं अना. संवर्ग के 17 उम्मीदवार डिग्री/डिप्लोमाधारी उपलब्ध हो जाते हैं तो अजा. एवं अजजा संवर्ग के क्रमशः 08 एवं 10 पदों पर डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का आरक्षण लागू नहीं होगा ।

4.7 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 जनवरी 2010 में प्रकाशित नियम 4 ख "आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध" अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा में तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है, और विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा ।

उक्तानुसार चयन किये गये उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित पदों में समायोजित की जावेगी । इनके चयन का आधार विज्ञापित तकनीकी योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की मेरिट के आधार पर होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक तकनीकी योग्यतायें उत्तीर्ण है तो जिस तकनीकी योग्यता में अधिक अंक प्राप्त हुये हैं, उस योग्यता के प्राप्तांकों का प्रतिशत मेरिट सूची में चयन के लिये मान्य किया जावेगा।

5-0 orueku :– पद क्र. 1 से 09 तक का वेतनमान रू. 9300–34800+3200 ग्रेड पे प्रतिमाह एवं समय–समय पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते की पात्रता होगी ।

6-0 U;ure vk;q lhek%

दिनांक 01.01.2017 को सभी पदो के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो ।

7-0 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र0 सी–3–11/12/1/3/दिनांक 03–11–2012 एंव ज्ञाप क्र0 सी–3–11/12/1/3/एक, दिनांक 20–11–2012 एव पत्र क्र./सी.3–11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016 द्वारा राज्य शासन के अनुसार निम्न संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानसार है :–

स. क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	म.प्र. के मूल निवासियों के लिये आयु सीमा (वर्ष में)	म.प्र. के बाहर के आवेदकों के लिये आयु सीमा (वर्ष में)
1.	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष	35 वर्ष
2.	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
3.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
4.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/निगम /मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष	35 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष	–

9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	–
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष	–

ijh{kk dk;y e-i- d ey fuoklh d fy;s A lHkh idkj dh NwV dk 'kkfey djrs g,, fdlh Hkh fLFkfr e fdlh Hkh iox d fy, vf/kdre vk;&lhek 45 o"k l vf/kd ugh gkxhA

7-1 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk dk ikRlkgu Lo:i nh tku okyh NwV %&

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

7-2 vkondk dh vk;q lhek d lc/k e vU; fooj.k %&

(क) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :–शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

Vhi & यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

7-3 म.प्र. शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अधिनियम 2011 अनुसार 62 वर्ष होगी।

8-0 vkonu djus gsrq vko';d funsZ'k %

8.1 ऑनलाईन आवेदन भरे जाने की तिथि एवं अन्य जानकारी हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश को पढे ।

8.2 कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका आईटीआई परीक्षा लिंक से डाउन लोड कर सकते हैं ।

8.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की ocslkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

8.4 आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

8.5 कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करें जो निर्धारित शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की तिथि तक घोषित न हुआ हो । leLr izek.k i= tSls tkfr izek.k i=] fodykaxrk izek.k i=] Mksfeosy yksdsy vkfn izek.k i= vkonu djus dh vafre frfFk rd tkjh fd;s gq;s gh ekU; gksaxs A

8.6 आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

8.7 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ हो । इन दस्तावोजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाना है। चयनित होने की दशा में सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अवलोकन कराया जाना है ।

8.8 शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता को अपने कार्यालय/विभाग का एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है अभिलेखों की जांच के समय एन.ओ.सी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

8.9 यदि आवेदक एक से अधिक पदों पर चयनित होता है तो उसे कौशल विकास संचालनालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पर लिखित में किसी एक पद पर चयन के लिए सहमति देना होगी । सहमति उपरांत शेष पदों पर दावेदारी समाप्त मानी जावेगी।

8.10 ट्रेडवार विभिन्न पदों के लिये परीक्षा की समय–सारिणी अलग–अलग होगी ।

8.11 एक ही आवेदन पत्र भरते हुए अपने पदों की पात्रतानुसार सम्मिलित होने वाले पदों की परीक्षा के लिए ट्रेडों से संबंधित प्रश्न पत्रों का चयन करें ।

9-0 in dh fy;s fujgrk %&

9.1 किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

9.2 जिस आवेदक की दो से अधिक संतानें हो जिसमें से एक का जन्म 26.1.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें ।

9.3 शासन द्वारा निर्धारित आयु अर्थात महिलाओं के लिये 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिये 21 वर्ष से कम में विवाह करने वाला उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें ।

9.4 कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित है, तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

10-0 nLrkostksa dk ijh{k.k %&

10-1 मेरिट सूची प्रकाशित होने तक आवेदकों के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन नही किया जावेगा। यह आवेदक की स्वंय की जिम्मेदारी होगी कि वह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापित पद के लिए समस्त अर्हतायें पूर्ण करता है। मेरिट सूची जारी होने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या के समरूप उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज की जांच हेतु बुलाया जावेगा, यदि जांच में यह पाया जाता है कि आवेदक विज्ञापन अनुसार अर्हता नही रखता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वयमेव ही समाप्त मानी जाएगी। अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाये गये आवेदक अपने पद से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों एवं उसकी एक सत्यापित छायाप्रतियों के साथ संचालनालय कौशल विकास सांई मंदिर के पास नर्मदा रोड़ जबलपुर अथवा आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, माढोताल, दमोह रोड, जबलपुर में उपस्थित होना होगा।

अपात्र/अनुपस्थित उम्मीदवारों के स्थान पर मेरिट से अगले उम्मीदवारों के चयन हेतु दस्तावेज परीक्षण के लिये बुलाया जायेगा।

10-2 जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर के सहारिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर के बैगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड के भारिया जनजाति के आवेदकों को मूल अभिलेखों के साथ अभिलेखों के परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा।

11-0 ikB~;dze %&सभी पदो के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ Objective type प्रश्न एवं कक्षा दसवीं स्तर के निम्न विषयों से 25 वस्तुनिष्ठ Objective type प्रश्न पूछे जायेगें।

1. विज्ञान एवं गणित
2. सामान्य ज्ञान
3. तार्किक ज्ञान
4. बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान

12-0 p;u izfØ;k %&

12.1 चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जावेगी । अतः परीक्षा के लिए बुलाये जाने का आशय यह नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारी (Candidature) अंतिम रूप से मान्य कर ली गयी है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेवारी उम्मीदवार की होगी ।

12.2 समस्त प्रकार के पदो के लिए चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से विज्ञापित पद की संख्या के अनुरूप मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र एवं अभिलेख बुलवाये जावेंगे । जांच उपरांत यदि उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापित पद अनुरूप नहीं पायी गई या कोई अभिलेख गलत पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी । जिन उम्मीदवारों के अभिलेख एवं प्रमाण पत्र विज्ञापन अनुसार सही पाये जावेंगे उनका पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा, इस हेतु

शपथ पत्र देना होगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवार को जिला मेडीकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

12.3 समस्त प्रकार के पदों के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा ।

12.4 समस्त पदों के लिए लिखित परीक्षा में अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्तजन श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है ।

13-0 ;k=k fdjk;k dk Hkqxrku :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) तथा दृष्टिबाधित (निःशक्तजन) श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से परीक्षा केन्द्र के रेलवे स्टेशन तक का रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर या आरक्षण चार्ज देय नहीं) का आने एवं जाने का किराया का भुगतान, टिकट एवं जाति प्रमाण पत्र तथा हॉल्ट टिकिट प्रस्तुत करने पर संबंधित परीक्षा केन्द्र से किया जावेगा। भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

13.1 उम्मीदवार को यात्रा व्यय भुगतान, आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत करने पर देय होगा। इस आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय की वेबसाइट www.mpdt.nic.in पर उपलब्ध होगा। आवेदक यह आवेदन पत्र भरकर साथ में लावें ।

13.2 आवेदन पत्र के साथ हॉल्ट टिकिट, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, रेलवे का टिकिट मूलरूप में या टिकिट का नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13.3 हॉल्ट टिकिट की छायाप्रति पर परीक्षा हॉल में उपस्थित इनविजिलेटर से यह लिखवाना होगा ''ये लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए'' तत्पश्चात् इनविजिलेटर के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक होगा।

14-0 U;k;@{ks=kf/kdkj %&

किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा ।

lapkyd
dk'ky fodkl e/;izns'k

inkas dk ,d tkbZ fooj.k

Ø-	iz'u i=	in dk uke	lh/kh Hkrh	lh/kh Hkrh cSdykx	lafonk Hkrh	dqy
1.	एक	प्रशिक्षण अधिकारी कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)	59	04	—	63
2.	दो	प्रशिक्षण अधिकारी विद्युतकार	146	01	—	147
3.	तीन	प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक	42	03	—	45
4.	चार	प्रशिक्षण अधिकारी फिटर	49	01	—	50
5.	पांच	प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक	27	01	—	28
6.	छः	प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिष्ट (कम्पोजिट)	14	—	—	14
7.	सात	प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर	23	01	—	24
8.	आठ	प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर	46	—	—	46
9.	नौ	प्रशिक्षण अधिकारी गणित/ड्राईंग	43	03	—	46
कुल			449	14	—	463

e-iz- ds fo'ks"k vkfne tutkfr leqnk; cSxk] lgfj;k ,oa Hkkfj;k vuqlwfpr tutkfr ds vH;fFkZ;ksa dks vkoaVu i= izLrqr djus ds fy;s foHkkx dh lwph %&

स.क्र.	विभाग का नाम	अकार्यपालिक पदों का विवरण
lHkh in r`rh; ,oa vdk;Zikfyd Js.kh ds gSa		

fjDr inksa dh oxZokj vkj{k.k rkfydk,a

01 प्रशिक्षण अधिकारी कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)

lh/kh HkrhZ & dqy 59 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		निःशक्तजनों की कुल 06 रिक्तियों में से 03 पद दृष्टिबाधित, 02 पद श्रवण बाधित एवं 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
1.	अनारक्षित (UR)	18	09	03	—	30	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	03	01	—	09	
3.	अनुसूचित जनजाति	07	04	01	—	12	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	02	01	—	08	
	;ksx	35	18	06	—	59	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM is

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा या डीओईएसीसी से ''ऐ'' लेबल परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/बोर्ड से पीजीडीसीए उत्तीर्ण।

अथवा

10+2 के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत आई.टी. (इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी) सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से कम्प्यूटर विषय के साथ स्नातक उपाधि।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग /इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी/इंफर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन/ इंफर्मेशन साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से बी.सी.ए./एम.सी.ए. परीक्षा उतीर्ण।

प्रशिक्षण अधिकारी कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)

cSdykWx lh/kh HkrhZ & dqy 04 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		निरंक
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति	03	—	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—	—	—	01	
	;ksx	04	—	—	—	04	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM is

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा या डीओईएसीसी से ''ऐ'' लेबल परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/बोर्ड से पीजीडीसीए उत्तीर्ण।

अथवा

10+2 के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत आई.टी. (इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी) सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से कम्प्यूटर विषय के साथ स्नातक उपाधि।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग /इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी/इंफर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन/ इंफर्मेशन साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से बी.सी.ए./एम.सी.ए. परीक्षा उतीर्ण।

02 प्रशिक्षण अधिकारी विद्युतकार

lh/kh Hkrh & dqy 146 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	44	22	07	—	73	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	14	07	02	—	23	
3.	अनुसूचित जनजाति	17	09	03	—	29	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	06	02	—	21	
	;ksx	88	44	14	—	146	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM i

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रीकल सेक्टर मे मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी /एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण ।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्रियल कन्ट्रोल)/ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स (पावर सिस्टम)/इलेक्ट्रीकल एण्ड इंस्ट्रूमेन्टेशन/इलेक्ट्रीकल एण्ड पॉवर से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

प्रशिक्षण अधिकारी विद्युतकार

cSdykWx lh/kh Hkrh & dqy 01 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	
	;ksx	04	—	—	—	01	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM i

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रीकल सेक्टर मे मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी /एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण ।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्रियल कन्ट्रोल)/ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स (पावर सिस्टम)/इलेक्ट्रीकल एण्ड इंस्ट्रूमेन्टेशन/इलेक्ट्रीकल एण्ड पॉवर से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

03 प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक

lh/kh Hkrh & dqy 42 inks dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	13	06	02	—	21	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 पद श्रवणबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	01	—	07	
3.	अनुसूचित जनजाति	04	03	01	—	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	02	01	—	06	
	;kx	24	13	05	—	42	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM is

'kS{kf.kd ;kX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का ड्रायविंग लायसेंस।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम । ऑटो मोबाईल सेक्टर से उत्तीर्ण और ykbV eksVj Oghdy dk Mªk;foax yk;lsal A

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल)/ऑटोमोटिव/ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का लायसेंस।

प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक

cSdykx lh/kh Hkrh & dqy 03 inks dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	
	;kx	03	—	—	—	03	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM is

'kS{kf.kd ;kX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का ड्रायविंग लायसेंस।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम । ऑटो मोबाईल सेक्टर से उत्तीर्ण और ykbV eksVj Oghdy dk Mªk;foax yk;lsal A

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल)/ऑटोमोटिव/ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग /टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का लायसेंस।

04 प्रशिक्षण अधिकारी फिटर

lh/kh Hkrh & dqy 49 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	15	07	02	—	24	निःशक्तजनों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 पद दृष्टिबाधित, 01 पद श्रवणाबाधित एवं 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	03	01	—	08	
3.	अनुसूचित जनजाति	06	03	01	—	10	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	02	01	—	06	
	;ksx	29	15	05	—	49	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM iS

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड) /प्रोडक्शन/ इण्डस्ट्रियल/ मैन्युफेक्चरिंग/ इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन / प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी)/ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

प्रशिक्षण अधिकारी फिटर

cSdykx lh/kh Hkrh & dqy 01 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	
	;ksx	01	—	—	—	01	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM iS

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड) /प्रोडक्शन/ इण्डस्ट्रियल/ मैन्युफेक्चरिंग/ इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन / प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी)/ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

05 प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक

lh/kh Hkrh & d|y 27 inks dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	04	01	—	14	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति	02	02	01	—	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01	—	—	04	
	;ksx	17	08	02	—	27	

orueku & 9300&34800$3200 xzsM ij

'kS{kf.kd ;kX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का ड्रायविंग लायसेंस।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम। ऑटो मोबाईल सेक्टर से उत्तीर्ण vkSj ykbZV eksVj Oghdy dk Mªk;fox yk;lsUlA

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल)/ऑटोमोटिव/ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग /टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का लायसेंस।

प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक

cSdykx lh/kh Hkrh & d|y 01 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	
	;ksx	01	—	—	—	01	

orueku & 9300&34800$3200 xzsM ij

'kS{kf.kd ;kX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का ड्रायविंग लायसेंस।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम। ऑटो मोबाईल सेक्टर से उत्तीर्ण vkSj ykbZV eksVj Oghdy dk Mªk;fox yk;lsUlA

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल)/ऑटोमोटिव/ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग /टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का लायसेंस।

06 प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिष्ट (कम्पोजिट)

lh/kh Hkrh & dqy 14 inks dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	01	—	07	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद दृष्टिबाधित एवं 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति	02	01	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	01	—	—	02	
	;kx	08	05	01	—	14	

orueku & 9300&34800$3200 xM i

'k{kf.kd ;kX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम :–
प्रोडक्शन एंड मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर से उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से मैकेनिकल /मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड)/प्रोडक्शन/ इण्डस्ट्रियल/ मैन्युफेक्चरिंग/इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी)/ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

07 प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर

lh/kh Hkrh & dqy 23 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	03	01	—	11	निःशक्तजनों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 पद दृष्टिबाधित, 01 पद श्रवणबाधित एवं 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति	02	02	01	—	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01	—	—	03	
	;ksx	14	07	02	—	23	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM is

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयकम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयकम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम :–
प्रोडक्शन एंड मेन्यूफेक्चरिंग/प्रोसेस प्लान्ट मेंटेनेंस सेक्टर से उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से मैकेनिकल /मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन) /मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड)/प्रोडक्शन/ इण्डस्ट्रियल/ मैन्युफेक्चरिंग/इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी)/ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर

cSdykWx lh/kh Hkrh & dqy 01 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	
	;ksx	01	—	—	—	01	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM is

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयकम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयकम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम :–
प्रोडक्शन एंड मेन्यूफेक्चरिंग/प्रोसेस प्लान्ट मेंटेनेंस सेक्टर से उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से मैकेनिकल /मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन) /मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड)/प्रोडक्शन/ इण्डस्ट्रियल/ मैन्युफेक्चरिंग/इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी)/ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

08 प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर

lh/kh Hkrh & dqy 46 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	14	07	02	—	23	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	01	—	07	
3.	अनुसूचित जनजाति	05	03	01	—	09	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	02	01	—	07	
	;ksx	27	14	05	—	46	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM is

'kS{kf.kd ;kX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयकम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी. आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयकम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम :—
फेब्रीकेशन (फिटिंग एंड वेल्डिंग) सेक्टर से उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से मैकेनिकल /मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड)/प्रोडक्शन/इण्डस्ट्रियल/ मैन्युफेक्चरिंग/इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी)/ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

09 प्रशिक्षण अधिकारी गणित/ड्राईग

lh/kh Hkrh & dqy 43 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	13	06	02	—	21	निःशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 03 पद दृष्टिबाधित, 04 पद श्रवणबाधित एवं 02 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	01	—	07	
3.	अनुसूचित जनजाति	05	03	01	—	09	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	02	01	—	06	
	;ksx	25	13	05	—	43	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM is

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ड्राफ्समैन मेकेनिकल ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई)/ एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड) /प्रोडक्शन/ इण्डस्ट्रियल/ मैन्युफेक्चरिंग/ इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन / प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी)/ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण

प्रशिक्षण अधिकारी गणित/ड्राईग

cSdykWx lh/kh Hkrh & dqy 03 inksa dh vkj{k.k rkfydk &

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—	—	—	01	
	;ksx	03	—	—	—	03	

osrueku & 9300&34800$3200 xzsM is

'kS{kf.kd ;ksX;rk &

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठयक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ड्राफ्समैन मेकेनिकल ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई)/ एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड) /प्रोडक्शन/ इण्डस्ट्रियल/ मैन्युफेक्चरिंग/ इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन / प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी)/ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण

अध्याय – 2

ikQ'kuy ,Xtkfeu'ku ckM] Hkkiky] ijh{kk lpkyu fu;e ,o funi'k

[k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH;Fkh 'kk{kf.kd vgrkvk dk HkyhHkkfr v/;;u mijkUr gh vkonu i= HkjA

(ii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iii) vkond dk fofHkUu ink gr ,d gh vkonu i= iLrr djuk vfuok;l gA ink dh l[;k e vko';drkuqlkj deh ;k of) dh tk ldrh gA

2-2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

2-3 ijh{kk gky e y tku gr vko';d lkexh %&

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।

(ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। bl vk/kkj ekU; ugh gA

(iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 ukxfjdrk ,o LFkkbl fuoklh d lc/k e %&

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :—

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण—पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण—पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

    (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

    (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

    (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण—पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

2-6 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa dks izksRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwV %&

(i) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी—3—40—आ—84—(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ii) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी—3—10—85—3—1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(iii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी—3—18—85—3—1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2-7 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa dh vk;q lhek ds laca/k esa vU; fooj.k %&

(i) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(ii) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

<u>Li"Vhdj.k</u> %& शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक

तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(iii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Li"Vhdj.k %& शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिषों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Vhi % (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

¼2½ यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित

अधिकतम आयु–सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

2-8 fyf[kr ijh{kk esa fu%'kDrtu vH;fFkZ;ksa ds fy, miyC/k lqfo/kk,¡ %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :–

(i) ;g lqfo/kk fuEufyf[kr vH;fFkZ;ksa dks iznku dh tkosxh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) ys[ku fyfid dh lqfo/kk %&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2) घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1) घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) ys[ku fyfid dh fu;qfDr gsrq 'krsZ %&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. आफलाईन परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 01 दिन पूर्व परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आनलाईन परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 07 दिन सप्ताह पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) blds vfrfjDr iznk; dh tkus okyh lqfo/kk,a %&

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए पी.ई.बी. द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2-9 izos'k&i= izkIr djus dh izfØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र पी.ई.बी. पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-10 ijh{kk izo'k&i= (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे पी.ई.बी. के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।

(v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.11 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-12 v- =fVi.k i'u] ml dk fujLrhdj.k ,o cny e fn;k x;k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>mnkgj.k 01</u> :– यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

mnkgj.k 02 :– यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

mnkgj.k 03 :– यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

ukV %& lHkh x.kuk dk n'keyo d nk vadk rd dh tk;xh A

2.12 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प–1/11/22–2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:–

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} **is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}**

$\bar{M}_t^g$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions**

M_q^g **is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions**

$\bar{M}_{ti}$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session**

M_{iq} **is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session**

2.13 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

(i) प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ती के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.8 अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2.14 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

निम्नलिखित में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की संलिप्तता होने पर अथवा दोषी पाये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनुचित साधन ¼**Unfair means)**/यू. एफ.एम. (**UFM**½ ½ के अंतर्गत मान्य करते हुये समाप्त कर दी जायेगी ।

(i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

(xii) पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।

(xiii) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

(xiv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xv) परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता पी.ई.बी. स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvi) उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

2-15 ijh{kk ifj.kke dk i्रdk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-16 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-17 ikQ'kuy ,Xtkfeu'ku cksM] Hkksiky dk dk;l iio'k@Hkrh@ik=rk ijh{kkvks dk lpkyu ,o mldk ifj.kke ?kkf"kr djuk ek= gkxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-18 U;kf;d {k=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k.M&c

2-19 vkWuykbZu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkostksa dk fooj.k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&03 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-20 vkWuykbZu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lac/kh funsZ'k%&

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&03 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ vkosnu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxzkQ ij f[kapokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-21 ,e-ih- vkWuykbZu fd;kLd ds ek/;e ls vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

(ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा।

(iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-22 vkuykbu vkonu Hkjus ds lca/k esa funsZ'k %

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªkbfoax ykblsal] vkdZlh esa QksVksxzkQ] cSad iklcqd esa QksVksxzkQ rFkk iklikVZ dk izko/kku j[kk x;k gSA bZ vk/kkj ekU; ugha gSA

(iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dkSu lk gS bldh tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa inku djuh gksxhA

(iv) vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA blds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा ।

2-23 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की osclkbZV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भीवीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-24 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus gsrq nks fodYi gSa %&

¼v½ bUVjusV dSQs }kjk ¼D;ksLd½ ¼c½ Lo;a ds dEI;qVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी fun'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु स्पदा के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

¼v½ ØfMV@MfcV dkM ¼c½ bVjuV cfdx

2-25 ØfMV@MfcV dkM d ek/;e l ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-26 bVjuV cfdx d ek/;e l ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku %&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-27 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-28 fu/kkfjr frfFk e tek fd, x, vkuykbu vkonu i= e l'kk/ku dh 0;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2-29 ,d l vf/kd vkuykbu vkonu&i= Hkju lc/kh funi'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-30 vkuykbu vkonu&i= dk fujLrhdj.k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-31 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-32 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-33 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र कमांक एफ 3–17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3-34 cxk] lgkfj;k ,o Hkkfj;k tutkfr;k d vH;fFk;k d fy, vkonu çfØ;k % &

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र कमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु fu/kkfjr U;ure 'k{kf.kd vgrk को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु lcf/kr foHkkx को प्रेषित करेगें। आवेदक द्वारा **बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य** माना जायेगा।

(ii) संबधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2-35 iu%x.kuk@iuelY;kdu

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3-36 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता ।

[k.M&l

2-37 vkonu i= Hkjus dh le;kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
13.09.2016	12.10.2016	30	13.09.2016	17.10.2016	35

2-38 vkuykbu ijh{kk dk fooj.k

स. क्रं.	परीक्षा दिनांक एवं दिन			अवधि	समय एवं पाली	अधिकतम अंक
	06.11.2016 रविवार	07.11.2016 सोमवार	08.11.2016 मंगलवार			
1	प्रश्नपत्र–1	प्रश्नपत्र–4	प्रश्नपत्र–7	02 घंटे	प्रथम प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2	प्रश्नपत्र–2	प्रश्नपत्र–5	प्रश्नपत्र–8		द्वितीय अपरांह 12:00 से 02:00 तक	
3	प्रश्नपत्र–3	प्रश्नपत्र–6	प्रश्नपत्र–9		तृतिय सायं 03:00 से 05:00 तक	

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2-39 (i) ijh{kk 'kqYd %&

स.क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01-	,d	500/– प्रति प्रश्न पत्र	250/– प्रति प्रश्न पत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/– कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/–	fuj~d

(ii) l~'kks/ku fd;s tkus ij n~; 'kqYd

स.क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	,d	100/–	50/–

2-40 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । पी.ई.बी अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

vkuykbu ijh{kk dsUnz		
1. भोपाल	2. ग्वालियर	3. इन्दौर
4. जबलपुर	5. उज्जैन	6. सागर

[k.M&n

vkuykbu ijh{kk i).kkyh ds lca/k esa funsZ'k

2-41

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) बोर्ड की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) बोर्ड कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) बोर्ड की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii)अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षाा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii)ई–आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

v/;k; & 3
fyf[kr ijh{kk dk ikB;Øe

iz'u i=& 1		dqy vad 100
01	सभी पदो के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ Objective type प्रश्न (पाठ्यक्रम अन्त संलग्न)	75 अंक
	कक्षा दसवीं स्तर के निम्न विषयों से 25 वस्तुनिष्ठ Objective type प्रश्न 1. विज्ञान एवं गणित 2. सामान्य ज्ञान 3. तार्किक ज्ञान 4. बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान	25 अंक

अध्याय–4

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

(देखें नियम 2.13 एवं 2.14)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक पी.ई.बी. कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न / उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक / उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर...............................
आवेदक का नाम..................................

स्थान ....
दिनांक ....

(देखें नियम 2.13 एवं 2.14)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक पी.ई.बी. कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर...

आवेदक का नाम एवं पता..............................

....

....

दूरभाष क्रमांक...

दिनांक ....

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4” x 5” सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4” x 5” cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxzth d y/k gLrk{kj ekU; ugh gkxs A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction)फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declarati

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3-के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/
Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above(

Box-3

ik : i&4

Hkxrku ikIr dju d fy; Lo; d cd [kkr dk fooj.k

1. परीक्षा का नाम : ....
2. परीक्षा की तिथि / पॉली / समय : ....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : ....
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) : ....
   (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : ....
6. परीक्षार्थी का रोल न. : ....
7. बैंक का नाम : ....
8. बैंक शाखा का नाम : ....
9. बैंक का IFS Code : ....
10. बैंक खाता क्रमांक : ....
11. परीक्षार्थी का गृह जिला : ....
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : ....
13. यात्रा का प्रकार : ....
14. यात्रा व्यय की राशि : ....

दिनांक....................................

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

....

....

ik:i&5

e/;in'k d vkfne tutkfr lenk; t l%&cXkk] lgkfj;k ,o Hkkfj;k tutkfr d vH;fFk;k gr vkonu i= dk ik:i

ijh{kk dk uke%& dk'ky fodkl lpkyuky; d vUrxr vkbVhvkb e if'k{k.k vf/kdkfj;k d ink dh Hkrh ijh{kk&2016

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटाग्राफ संलग्न करे

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. माता का नाम :– ....
4. लिंग (पुरूष/महिला) :– ....
5. जन्मतिथि :– ....
6. आदिम जनजाति का नाम :– ....
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :– ....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :– ....
9. कार्यअनुभव का विवरण :– ....
10. विशेष/अन्य विवरण :– ....
11. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नामः– ....
11. पदों के लिये विभाग के चयन का विकल्प (नियम पुस्तिका के अध्याय–02 अनुसार) : –

l-Ø-	foHkkx dk uke	inuke
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :–..
दिनांक :– ....
निवास का पता :– ....
....
मोबाईल/दूरभाष नं. :– ....